

## 'वविह का असाध्य रूप से टूटना' तलाक का आधार: सर्वोच्च न्यायालय

### प्रलिस के लयि:

संवधान का अनुच्छेद 142(1), हद्वि वविह अधनियिम (HMA), 1955, तलाक पर सर्वोच्च न्यायालयके फैसले

### मेन्स के लयि:

भारत में तलाक की मांग करने वाले लोगों के सामने कानूनी चुनौतियाँ, तलाक के मामलों में अनुच्छेद 142(1) का महत्त्व, वविह का असाध्य रूप से टूटना, भारत में वविह समानता पर सर्वोच्च न्यायालय और वधिआयोग - महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने [अनुच्छेद 142](#) द्वारा प्राप्त 'पूर्ण न्याय' करने की अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए फैसला सुनाया कि न्यायालय किसी दंपति के बीच सुलह की बलिकुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति में वविह को भंग कर सकता है। दूसरी ओर, संबद्ध पक्षकारों को पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के आदेश के लयि 6-18 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया से त्वरति नरिणय की संभावना है।

### सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

#### ■ फैसले:

- [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि न्यायालय के पास दंपति के बीच सुलह की बलिकुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति के आधार पर वविह को भंग करने की शक्ति है।
  - मूल मामला वर्ष 2014 में दायर किया गया था, जिसका शीर्षक शलिपा शैलेश बनाम वरुण श्रीनविसन था, जहाँ पक्षकारों ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की मांग रखी थी।
  - न्यायालय [हद्वि वविह अधनियिम \(HMA\), 1955](#) के तहत तलाक के लयि अनविर्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को खत्म कर सकता है और एक पक्ष के इच्छुक न होने पर भी सुलह की गुंजाइश न रहने के आधार पर वविह को भंग करने की अनुमति दे सकता है।

#### ■ शर्त:

## Larger public, personal interest

### 'IRRETRIEVABLE BREAKDOWN OF MARRIAGE'

"Court should be fully convinced... the marriage is totally unworkable, emotionally dead and beyond salvation and, thus, dissolution of marriage is... the only way forward. That the marriage has irretrievably broken down is to be factually determined and firmly established."

#### FACTORS TO ESTABLISH BREAKDOWN

- 1 Time the parties lived together after marriage
- 2 When the parties last cohabited
- 3 Allegations made by parties against each other, their families
- 4 Orders passed in legal proceedings
- 5 Attempts made to settle disputes by court intervention, mediation
- 6 The separation period should be above six years



- यह नरिणय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में हट्टि वविह अधनियम (HMA) 1955 के तहत दंपत्त में सुलह की स्थिति नहीं होने पर तलाक का आधार नहीं है।
  - वविह वचिछेद के लिये अभी भी कोई संहतिबद्ध वधिान नहीं है। हालाँकि हट्टि वविह अधनियम 1955, धारा 13 में वविह वचिछेद के लिये कुछ आधारों की पहचान करता है।
- नरिणय के नहितारिथ:
  - सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय का अरथ यह नहीं है कलोग तुरंत तलाक के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
    - दंपत्त में सुलह न होने की स्थिति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलाक देना "अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि विकिाधिकार है जिसे बहुत सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करने की आवश्यकता है"।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कएिक पक्ष भारत के संवधिान के अनुचछेद 32 (या अनुचछेद 226) के तहत रटि याचकिा दायर नहीं कर सकता है और सीधे दंपत्त में सुलह की स्थिति नहीं होने के आधार पर वविह वचिछेद की मांग नहीं कर सकता है।
- तुरुटपिरण सदिधांत का त्याग:
  - 5-न्यायाधीशों की पीठ ने हट्टि वविह अधनियम 1955 की धारा 13 (1) के तहत "तुरुट सदिधांत" और "तलाक के अभयिगातमक सदिधांत" को त्यागने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें पति-पत्नी में से किसी एक को क्रूरता, व्यभिचार या परत्याग जैसे कुछ कुकर्मों के लिये दोषी ठहराया जा सकता है।
  - हट्टि वविह अधनियम, 1955 और वशिष वविह अधनियम, 1954 तलाक के उद्देश्य से 'दोष' या 'वैवाहिक अपराध' सदिधांत पर आधारित हैं।
    - यदि दूसरा पक्ष वैवाहिक अपराध करता है तो यह नरिदोष पक्ष को तलाक प्राप्त करने की अनुमति देता है।
    - हट्टि वविह अधनियम, 1955 के तहत तलाक के लिये 7 दोष आधार हैं: व्यभिचार, क्रूरता, परत्याग, धर्मांतरण, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग और संन्यास।
      - चार आधार हैं जनि पर पत्नी अकेले मुकदमा दायर कर सकती है: बलात्कार, समलैंगकिता, व्यभिचार, भरण-पोषण के आदेश के बाद फरि से सहवास न करना और भरण-पोषण के लिये डकिरी।
    - बचाव पक्ष को यह साबति करना होगा कि इस सदिधांत के तहत दिये जाने वाले तलाक के लिये वे नरिदोष हैं।

## नोट:

- भारत के वधिआयोग ने 1978 और 2009 में अपनी रिपोर्ट में तलाक के अतरिकित आधार के रूप में इररीटेबल ब्रेकडाउन को जोड़ने की सफिरशि की थी।
  - वधिआयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट (1978) में वविह के वविह का असाध्य रूप से टूटना की अवधारणा पर वचिार किया।
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1920 तक न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल देशों में पहला था जसिने यह प्रावधान पेश किया कतिलाक के लिये न्यायालयों में याचकिा दायर करने हेतु तीन वर्ष या उससे अधिक का अलगाव समझौता आधार था।

- ववाह कानून में वैवाहक संबध टूटने की अवधारणा को कई मौकों पर इस तरह व्यक्त कया गया है ।

## हद्व ववाह अधनयम, 1955:

### परचय:

- हद्व ववाह अधनयम, 1955 भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक अधनयम है जो हद्वों और अन्य लोगों के बीच ववाह से संबधति कानून को संहतिबद्ध एवं संशोधति करता है ।
- यह हद्वों, बौद्धों, जैनयों, सखों और उन व्यक्तयों पर लागू होता है जो धरु से मुसलमि, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं ।
- HMA के तहत तलाक की वर्तमान प्रकरया:
  - HMA की धारा 13 B में "आपसी सहमतसे तलाक" का प्रावधान है, जसके तहत ववाह के दोनों पक्षों को एक साथ ज़ला न्यायालय में याचका दायर करनी होगी ।
    - यह इस आधार पर कया जाएगा कवे एक वर्ष या उससे अधके की अवधसे अलग-अलग रह रहे हैं तथा एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और पारस्परके रूप से सहमत हैं कउनके वैवाहके रशते को समाप्त कर देना चाहये ।
  - दोनों पक्षों को पहली याचका की प्रस्तुतकी तारीख के कम-से-कम 6 महीने बाद और उक्त तथके पश्चात् 18 महीने के बाद अदालत के समकष दूसरा प्रस्ताव पेश करना चाहये (बशरते, याचका इस बीच वापस नहीं ली जाती है) ।
    - छह महीने की अनवार्य प्रतीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों को अपनी याचका वापस लेने का समय देना है ।
  - आपसी सहमतसे तलाक की याचका शादी के एक वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है ।
- HMA की धारा 14 में कहा गया है, " प्रतवादी की ओर से अत्यधके दुष्टता या याचकाकर्ता को हो रही असाधारण कठनाई" की स्थतते में तलाक की याचका तुरंत दायर की जा सकती है ।
- परवारके न्यायालय के समकष प्रस्तुत आवेदन में धारा 13 B (2) के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधकी छूट की मांग की जा सकती है ।

## तलाक से संबधति अन्य नरण्या:

- 2021 2021 2021 2021 2021 2021 (2021): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जहाँ सुलह की संभावना हो, भले ही मामूली हो, तलाक की याचका दायर करने की तारीख से छह महीने अलग रहने की अवध लागू की जानी चाहये । हालाँकयद सुलह की कोई संभावना नहीं है तो ववाह के पक्षकारों की पीड़ा को लंबा खीचना व्यरथ होगा ।
- 2018 2018 2018 2018 2018 2018 (2018): बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कपतनी का सात साल से अधके समय तक बना कसी उचते कारण के वापस न लौटने का इरादा तलाक के लये एक वैध आधार है ।
- जून 2016 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षकारों को पारवारके अदालत में भेजे बना तलाक देने के लये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तयों के प्रयोग के संबध में मामले को 5 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को संदर्भति कया ।
  - शीरष न्यायालय की वभिनिन पीठों द्वारा लये गए पारस्पर वरिधी नरण्याओं का हवाला देते हुए इसने सहमतसे देने वाले पक्षों के बीच ववाह को भंग करने के लये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तयों के प्रयोग के लये व्यापक मापदंडों पर स्पष्टता मांगी है ।
  - छोटी बेंच ने वर्ष 2016 में वरषिट अधविकृताओं इंदरि जयसहि, दुष्यंत दवे, वी गररि और मीनाकषी अरोड़ा को संवधान पीठ की सहायता के लये एमकिस क्यूरी (अदालत के मतर) के रूप में नयुक्त कया था ।

## संवधान का अनुच्छेद 142 (1):

- अनुच्छेद 142 (1) सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की डकरी पारत करने या कसी भी कारण या मामले में 'पूर्ण न्याय' करने हेतु आवश्यक आदेश देने के लये व्यापक शक्ति प्रदान करता है ।
- अनुच्छेद 142(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का नरण्या "मौलके रूप से सामान्य और वशिषट सार्वजनके नीतपर आधारते" होना चाहये ।
  - सार्वजनके नीतकी मूलभूत सामान्य शरतें मौलके अधकारों, धरुनररपेक्षता, संघवाद और संवधान की अन्य बुनयादी वशिषताओं को संदर्भति करती हैं; वशिषट सार्वजनके नीतको न्यायालय द्वारा परभाषति कया गया था जसका अरथ है "कसी भी मूल कानून में कुछ पूर्व-प्रतषठते नषध, न ककसी वशिष वैधानके योजना के लये शरतें और आवश्यकताएँ" ।

## भारत में वैवाहके समानता की स्थतते:

■ भारत में तलाक दर और उनके रुझान:

○ वर्ष 2018 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 160,000 परिवारों के 93% विवाह भारतीयों का 'व्यवस्था विवाह' (Arrange Marriage) हुआ था, जबकि वैश्विक औसत लगभग 55% था।

- भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 1.1 की न्यूनतम वार्षिक तलाक दर है, प्रत्येक 1,000 में से केवल 13 विवाहों में तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सामान्यतः पुरुष आरंभकर्ता होते हैं।
- प्रचलित सामाजिक मानदंड महिलाओं को तलाक लेने से हतोत्साहित करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें कानूनी बाधाओं एवं सामाजिक-आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, विशेषकर अगर वे अपने जीवनसाथी पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।

■ महिलाओं की आर्थिक निर्भरता:

○ भारतीय महिलाओं की कम श्रम-शक्ति भागीदारी दर वित्तीय निर्भरता के कारण उन्हें कटुतापूर्ण विवाह संबंधों के साथ 'समझौता' करने हेतु मजबूर होना पड़ता है।

■ तलाक के बाद महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

○ वैवाहिक संबंध का वधितन असमान रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, जिसमें घरेलू आय में अनुपातहीन नुकसान, गृह स्वामित्व खोने का उच्च जोखिम, पुनः साझेदारी के कम अवसर और एकल पालन-पोषण का भारी बोझ शामिल है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

**??????????:**

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषिद्ध अथवा निरिबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषिद्ध अथवा निरिबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के निरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निरिवाहन करते समय लिये गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- (b) भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित वधियों से बाध्य होता है।
- (c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमता के बिना वधि निर्मित नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)